

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,  
पटना, भागलपुर एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक-18-9 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,76,100/- (अठारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,76,100/- (अठारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

प्रमंडल का नाम	पटना	भागलपुर	दरभंगा	कुल
विशेष वेतन	0	0	21,000	21,000
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	45,100	0	45,100
वर्दी	0	10,000	0	10,000
मोटर गाड़ी	18,00,000	0	0	18,00,000
कुल	18,00,000	55,100	21,000	18,76,100

(अठारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,  
पटना, भागलपुर एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक— 2017

**विषय:— बजट मुख्य शीर्ष 2053—जिला प्रशासन-00-101—आयुक्त-0001— मुख्य कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,76,100/- (अठारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053—जिला प्रशासन-00-101—आयुक्त-0001— मुख्य कार्यालय विपत्र कोड 33-2053001010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 18,76,100/- (अठारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:—

प्रमंडल का नाम	पटना	भागलपुर	दरभंगा	कुल
विशेष वेतन	0	0	21,000	21,000
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	45,100	0	45,100
वर्दी	0	10,000	0	10,000
मोटर गाड़ी	18,00,000	0	0	18,00,000
<b>कुल</b>	<b>18,00,000</b>	<b>55,100</b>	<b>21,000</b>	<b>18,76,100</b>

(अठारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-01/2017 सा0-.....२३ /

पटना, दिनांक-18-9- 2017

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना, भागलपुर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४  
194

सरकार के अपर सचिव